स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

आपणी गरिमा आपणो मान
निर्मल राजस्थान

यू0 ओ0 नोट

आपको विदित होगा कि जुलाई 2014 को बजट घोषणाओं में माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने राज्य को वित्तीय वर्ष 2017–18 तक खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प पारित किया गया था।

इस संदर्भ में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि तभी स्वीकृत की जावे, जब उनके घर में स्वच्छ शौचालय होने तथा उसके परिवार द्वारा उसका उपयोग सुनिश्चित किये जाने की उद्घोषणा (संलग्न प्रपत्र में) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी गई है।

अतः राज्य सरकार के निर्णय की प्रति संलग्न कर लेख है कि इस सम्बन्ध में समुचित आदेश प्रसारित कर समस्त विभागों को सूचित करने का श्रम करे ।

(सी. एस राजन)
मुख्य सचिव

शासन सचिव, कार्मिक

क्रमांक यू. ओ. नोट / पंरावि/एसबीएम(जी.)/2015/532 दिनांक 15/5/15

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

यू.ओ. नोट

विषय :– **ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मचारियों/निश्चित मानदेय प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं/प्रेरकों/उचित मूल्य के दुकानदारों/बड़े कृषि ऋण लेने वाले कृषको के द्वारा उनके निजी घरो में शौचालय की उपलब्धता एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करने के प्रावधान हेतु।**

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मचारियों/निश्चित मानदेय प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं/प्रेरकों/उचित मूल्य के दुकानदारों/बड़े कृषि ऋण लेने वाले कृषको के द्वारा उनके निजी घरो में शौचालय की उपलब्धता एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

आप अपने विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं/प्रेरकों/उचित मूल्य के दुकानदारों/बड़े कृषि ऋण लेने वाले कृषकों के द्वारा उनके निजी घरो में शौचालय की उपलब्धता एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग के सम्बन्ध में सलग्न प्रपत्र में उद्घोषणा प्राप्त किया जावे। यदि उनके घर में स्वच्छ शौचालय नही है तो उन्हें 30 जून 2015 से पूर्व शौचालय का निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित कर उसी आधार पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि, मानदेय, ऋण आदि स्वीकृत किया जावे तथा प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव, राजस्थान

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार 4 उद्घोषणा प्रपत्र :–**

(क) **अति.प्रमुख सचिव**– 1.कृषि,पशुपालन,मत्स्य एवं गोपालन विभाग 2. पर्यावरण एवं वन 3. गृह 4. नगरीय विकास एवं आवासन 5. प्रशासनिक सुधार,समन्वय,जन–अभियोग निराकरण 6. महिला एवं बाल विकास एवं आयुर्वेद 7. अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ बोर्ड विभाग 8. दिल्ली–मुम्बई ओद्योगिक कोरिडोर 9. संस्कृत शिक्षा 10. उद्यानिकी विभाग

(ख) **प्रमुख शासन सचिव**– 1. जन स्वास्थ अभियान्त्रिकी 2. सामान्य प्रशासन, मंत्रिमण्डल सचिवालय सम्पदा एवं स्टेट मोटर गैरेज विभाग 3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 4. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज 5. आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति 6. जनजाति क्षेत्रीय विकास 7. लघु उद्योग,खादी एवं ग्रामोद्योग 8. चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं खेल एवं युवा मामले 9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता,सामाजिक सुरक्षा 10. सहकारिता 11. पर्यटन विभाग एवं साहित्य कला एवं संस्कृति 12. वित्त एवं कर, आबकारी, कोष एवं लेखा, पंजीयन एवं मुद्रांक, मार्गोपाय, पेंशन, लोकल फण्ड ऑडिट, निरीक्षण बीमा, प्रावधायी निधि, गंगानगर शुगर मिल 13. खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले 14. प्रारंभिक शिक्षा 15. स्वायत्त शासन 16. खान एवं पैट्रोलियम, एवं राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड 17. सार्वजनिक निर्माण विभाग, अध्यक्ष–राजस्थान, सड़क विकास निगम 18. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन प्रमुख शासन विभाग 19. उद्योग एवं राजकीय उपक्रम प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम एवं अप्रवासी भारतीय 20. विधि एवं विधिक कार्य एवं न्याय विभाग कम विधि परामर्शी एवं संसदीय मामलात विभाग 21. उर्जा।

(ग) **शासन सचिव**– 1.श्रम नियोजन विभाग 2. सचिव मुख्यमंत्री (अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, रा0 अक्षय उर्जा निगम) 3. आयोजना एवं आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार 4. राजस्व उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण 5. माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं आयुक्त राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 6. वित्त (राजस्व) 7. ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक आजिविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह, 8. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग एवं आयुक्त रोजगार गारन्टी योजना राज, जयपुर 9. जल संसाधन, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग एवं इन्दिरा गॉधी नहर व सिंचित क्षेत्र विकास 10. कार्मिक 11. परिवहन 12. सूचना एवं जन सर्म्पक 13. पर्यावरण 14. सार्वजनिक निर्माण 15. वन 16. विधि 17. हार्टिकल्चर 18. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 19. उच्च एवं तकनिकी शिक्षा

....

एफ.4() परावि / स्व. भा. मि. (ग्रा.)राज. / ..... / 2014–15 / 593 जयपुर, दिनांक : 15/4/15

उद्घोषणा पत्र–1

राजकीय कर्मचारी/सहकारी समिति में कार्यरत कार्मिक द्वारा अपने विभागाध्यक्ष को अपने वार्षिक वेतन वृद्धि के दिनांक के पूर्व उसके घर में शौचालय के निर्माण और उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा इसका उपयोग किये जाने के संबंध में की जाने वाली उद्घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पति/पत्नि/श्री............................ स्थाई निवासी.. वर्तमान पता.. विभाग में.. कार्यरत हूँ। मेरा वर्तमान पदस्थापन ग्राम पंचायत.. पंचायत समिति .... जिला परिषद के ग्राम .... में है।

मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. मेरे घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय है, जो तीन दीवारों, एक दरवाजा और छत से घिरा हुआ है। इसमें जलबन्ध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली व्यवस्था है।
2. मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (पति–पत्नि, बच्चे एवं साथ निवास कर रहे माता–पिता) खुले में शौच के लिए नहीं जाते हैं। मै यह भी सुनिश्चित करूंगा/करूंगी कि मेरे परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं करे।
3. मैं राजस्थान को खुले में शौच से मुक्त करने में अपना सक्रिय सहयोग करूंगा/करूंगी।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं यह सत्यापित करता/करती हूं कि उक्त तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। मैने इसमें कोई तथ्य नहीं छिपाया हैं।

हस्ताक्षर

नाम : ....

मोबाईल नम्बर :

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर